



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2016/पौष 11, 1937

No. 05]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2016/PAUSA 11, 1937

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

**का.आ. 5(अ).**—जबकि मैसर्स पवन हंस लिमिटेड का डौफिन एसए365एन हेलिकाप्टर VT-ELJ दिनांक 24-11-2015 को दीमापुर से मेलुरी (नागालैंड) के लिए उड़ान प्रचालन करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

और जबकि केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुर्घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सिफारिशें करना समीचीन है।

अब, वायुयान (दुर्घटनाओं एवं घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस दुर्घटना की औपचारिक जाँच का निदेश देती है।

तदनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री ए. एक्स. जोसेफ, उप निदेशक, डीजीसीए की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक जाँच समिति नियुक्त करती है।

- (i) कैप्टन पी. के. चाबरी –प्रचालन सचिव  
(ii) श्री राजे भटनागर, सहायक निदेशक, एएआईबी –सचिव समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति अधिमानतः तीन महीने के भीतर इसकी जाँच पूरी करके अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[सं. एवी-15018/212/2015-डीजी]

बी. एस. भुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2015

**S.O. 5(E).**—Whereas M/s PHL Dauphin SA365N helicopter VT-ELJ met with accident while operating flight from Dimapur to Meluri (Nagaland) on 24-11-2015.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the causes and contributory factors leading to the said accident and make recommendations to avoid recurrence of such accident in future.

Now, in the exercise of the powers conferred by the Rules 11(1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules, 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry in the accident be made.

Accordingly, the Central Government hereby appoints a Committee of Inquiry headed by Shri A. X. Joseph, Deputy Director, DGCA with following members

- (i) Capt. R. K. Chabri as - operational Member  
(ii) Shri Rajee Bhatnagar, Assistant Director, AAIB as-Member

The Committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months

[No. AV-15018/212/2015-DG]

B. S. BHULLAR, Jt. Secy.